

राजस्थान सरकार  
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर  
कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार) गौशालाएं  
पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, लालकोठी जयपुर, 302015

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

अध्यक्ष, चानणे विकास एवं सेवा संस्थान गौशाला जैसुराणा 14बी.डी. एस.बी.एस. ब्रह्मनगर तहसील व जिला जैसलमेर से प्राप्त प्रपत्र IX, लिखित प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर चानणे विकास एवं सेवा संस्थान का स्थान परिवर्तन ग्राम जैसुराणा पोस्ट हमीरा तहसील व जिला जैसलमेर हेतु निवेदन किया गया है। अतः उक्त आधार पर राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 1096/10 दिनांक 17.08.2010 द्वारा पंजीकृत चानणे विकास एवं सेवा संस्थान गौशाला जैसुराणा 14बी.डी. एस.बी.एस. ब्रह्मनगर जिला जैसलमेर के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए "चानणे विकास एवं सेवा संस्थान गौशाला ग्राम जैसुराणा पोस्ट हमीरा तहसील व जिला जैसलमेर" किया जाता है।

रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक  
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)  
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर

एफ. 3( )निगो/गौपंसु/संशोधन/16/23  
जयपुर, दिनांक: 29.05.2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर।
2. अध्यक्ष, चानणे विकास एवं सेवा संस्थान ग्राम जैसुराणा पोस्ट हमीरा तहसील व जिला जैसलमेर।



रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक  
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)  
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर  
29/5/17